राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–6114 / 2022

मधु कुमारी बेनिवाल (कर्मचारी आई.डी.– आरजेआरए202131000735)

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 28.11.2022
आदेश की दिनांक : 07.12.2022

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री गिरिराज राजोरिया

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
एम.एस. काला, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने स्थानांतरण आदेश दिनांक 30.09.2022 (अनुलग्नक–1) को चुनौती दी है। जिस आदेश के द्वारा अपीलार्थी, जो कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक के पद पर कार्यरत है, उनका स्थानांतरण रामचन्द्रपुरा, निवाई, टोंक से कौलू, बायतु, बाड़मेर किया गया है। अपीलार्थी का कथन है कि निजी प्रत्यर्थी को लाभ देने के गरज से अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है। अपीलार्थी का पदस्थापन वर्तमान स्थान पर आदेश दिनांक 27.09.2021 को किया गया था और इसके पश्चात् 1 वर्ष बाद ही अपीलार्थी का पुनः स्थानांतरण किया गया है, जो उचित नहीं है।
2. अपीलार्थी द्वारा दिये गए तर्कों पर विचार किया गया । पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आदेश दिनांक 30.09. 2022 (अनुलग्नक–5) से प्रकट होता है कि अपीलार्थी का कौलू, बायतु, बाड़मेर में स्थानांतरण के पश्चात् अपीलार्थी ने उक्त स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर लिया। तत्पश्चात उसे कार्यव्यवस्थार्थ निवाई, टोंक में लगाया है। कार्यालय आदेश दिनांक 11.10.2022 (अनुलग्नक–6) से प्रकट होता है कि अपीलार्थी ने बाड़मेर में कार्यग्रहण कर लिया था और बाड़मेर से उसे कार्यव्यवस्थार्थ निवाई, जिला टोंक में लगाये जाने के फलस्वरूप कार्यमुक्त भी कर दिया गया है। अतः स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने आक्षेपित आदेश

30.09.2022 (अनुलग्नक–1) की पालना में कौलू, बायतु बाड़मेर में कार्यग्रहण कर लिया था।

3. आदेश दिनांक 30.09.2022 (अनुलग्नक–1) की पालना हो चुकी है। ऐसी स्थिति में आलौच्य आदेश में हस्तक्षेप किये जाने का कोई आधार शेष नहीं है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

4. आदेश आज दिनांक 07.12.2022 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(एम.एस. काला)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)